6-7-17 आज यह पत्रावली फैमिली कोर्ट डिमिनिशिया प्रोसेस में पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष प्रार्थना के आवेदन पर वाद पत्र का निस्तारण करने पर सहमत नहीं आया। वादी का वाद फैसला किये जाने के आवेदन पर डिक्री किया जाता है। पत्रा. न [illegible] से कम हो कर [illegible] तदनुसार डिक्री किया जावे। निर्णय फैमिली कोर्ट में लिखाया जाकर था. पत्रा. पर सुनाया गया। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
कोटकासिम (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी ~~लोक अदालत~~/कैम्प कोर्ट) कैम्प......ईकरोटिया

पीठासीन अधिकारी:– विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

अमरजीत आदि................बनाम.............जयनारायण आदि

दावा बाबत..............हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर : 235/15.12.2011
निर्णय दिनांक:– 06.07.2017

वादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख....06.07.2017 को विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए कैम्प कोर्ट में पेश होने पर सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया । रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:– वादीगण विवादित आराजी वाके ग्राम **पालपुर** तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान खसरा नम्बर **773/0-17, 774/1-19** की नियमानुसार पैमाइश कराये, तत्पश्चात पैमाइश होने के बाद पैमाइश के अनुसार पैमाइश रिपोर्ट में उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी गण का अतिक्रमण पाया जाता है तो उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द रहेंगें कि वो विवादित आराजी के किसी भी जुज पर जबरन कब्जा ना करें,, ना निर्माण करें, वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। ना ही किसी भी डोल को किसमार करें। मौके की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर करें। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया।

....

....

....

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।
यह निर्णय आज तारीख....06.07.2017को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट.....ईकरोटिया

Scanned by CamScanner